FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं SDO बायतु मुकाम

पन्नाराम बनाम तहसीलदार बायतु वगैरा

किस्म मुकदमा राज० भा०इन्द्रा नं. 356/2020 सन् 2020

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
4-11-2020	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री रि०धाराम मिरासा ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 131, 136 राजस्थान काश्तकारी/भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी /प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 24/11/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
24-11-2020	पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय रक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त हैं। मिसल इल्तवा होकर दिनांक 04-1-2021 को पेश हों। (हस्ताक्षर)	
04/01/2021	प्रार्थी वकील उपस्थित। तहसीलदार बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। विप्रार्थी संख्या-2 की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ द्वारा इकबाली वकालतनामा मय इकबाली जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ~~प्रार्थी का~~ पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर आदेश अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	

.यालय उपखण्ड अधिकारी बायतु जिला–बाड़मेर

पीठासीन अधिकारीः– विवेक व्यास आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या–356/2020

प्रार्थीगण

1. पप्पूराम पुत्र जोगाराम
2. जगदीशराम पुत्र गुणेशाराम जातियान् जाट निवासी भूकरों की ढाणी, शिवकर घेवड़ा तहसील ओसिया जिला जोधपुर

बनाम

विप्रार्थी

1. तहसीलदार बायतु
2. भगवानाराम पुत्र तेजाराम जाति जाट निवासी सन्तरा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956.

आदेश दिनांकः– 04/01/2021

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री रिणछाराम सियाग एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगण का खातेदारी खेत मौजा दर्जियों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 191/67 रकबा 0.1618 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीगण के सेढासेढ ही विप्रार्थी संख्या 2 का खसरा नम्बर 135/67 रकबा 0.2427 हैक्टेयर का हुआ हुआ है। प्रार्थीगण व विप्रार्थी संख्या 2 के खेतों की बीच लट्ठा ट्रेस में की गई तरमीम व मौके पर पक्षकारान् के मौजूद कब्जा काश्त में भारी अन्तर है। प्रार्थी द्वारा तरमीम दुरस्ती हेतु यह आवेदन पेश किया गया।

तहसीलदार, बायतु से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार, बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट में वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार तरमीम प्रस्तावित की गई है।

हमने राजस्व अभिलेख व मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मौजा दर्जियों की ढाणी पटवार मण्डल माधासर तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 191/67 व 135/67 भूमि की पूर्व में की गई तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार बायतु द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा के अनुसार तरमीम शुद्व करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार बायतु आदेशानुसार तरमीम किया जाना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार हो, नम्बर से कम होकर, दाखिल दफ्तर हो ।

आदेश आज दिनांक 04/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी बायतु

सहायक कलेक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)

उपखण्ड अधिकारी, बायतु